रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15072021-228303
CG-DL-W-15072021-228303

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, जुलाई 4 जुलाई 10, 2021, शनिवार/ आषाढ़ 13- आषाढ़ 19, 1943
No. 22] NEW DELHI, JULY 4 - JULY 10, 2021, SATURDAY/ ASHADHA 13 - ASHADHA 19, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 68.—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (योधक समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2010, को, जहां तक उनका संबंध सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) और हैड कांस्टेबल (गेस्टेटनर ऑपरेटर) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) और हैड कांस्टेबल (गेस्टेटनर ऑपरेटर) के पदों की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (योधक समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद है	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)	2787*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) प्रोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत; और (ii) विभागीय परीक्षा द्वारा 25 प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में, किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
ऐसे हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) में से प्रोन्नित जो चिकित्सीय प्रवर्ग शेप-1 के अध्यधीन रहते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उस श्रेणी में पांच वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय- समय पर यथाविहित अन्य पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को पूरा किया हो। **टिप्पणः-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **विभागीय परीक्षाः-** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4(25500-81100 रु.) में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ऐसे अधिकारी जिन्होंने हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध के विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः-** (i) पुलिस उप महानिरीक्षक, केरिपुबल -अध्यक्ष; (ii) 02 कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. हैड कांस्टेबल (गेस्टेटनर ऑपरेटर)	1*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में ऐसे कांस्टेबल (दफ्तरी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास गेस्टेटनर मशीनों के प्रचालन और अनुरक्षण में प्रवीणता है। **टिप्पणः-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः-** (i) पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल -अध्यक्ष (ii) कमांडेंट - सदस्य (iii) उप कमांडेंट -सदस्य	लागू नहीं होता।

लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

[फा. सं. आर.नौ. 1/2020-मंत्रा-डीए-3]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 1st July, 2021

G.S.R. 68.— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force (Combatised Group 'C' Ministerial posts) Recruitment Rules, 2010, in so far they relate to the posts of Assistant Sub-Inspector (Ministerial) and Head Constable (Gestetner Operator), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Sub-Inspector (Ministerial) and Head Constable (Gestetner Operator) in the Central Reserve Police Force under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement**.— (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, (Combatised Group 'C' Ministerial posts) Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix**. — The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.** — No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts :

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. Assistant Sub-Inspector (Ministerial)	2787* (2020) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted (Ministerial)	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)	Selection	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) seventy-five per cent by promotion; and (ii) twenty-five per cent by departmental examination failing which by promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion from amongst Head Constable (Ministerial) who has rendered not less than five years regular service in the grade in the Central Reserve Police Force subject to medical category SHAPE-1 and have undergone promotional course or training as prescribed by Director General, Central Reserve Police Force from time to time. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Departmental Examination **:-** From amongst officers of the Central Reserve Police Force having three years of	**Group 'C' Departmental Promotion Committee(for considering promotion consisting of :-** 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force – Chairman; 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force -Members.	Not applicable.

regular service in the post of Head Constable (Ministerial) in the level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Head Constable (Gestetner Operator)	1* (2020) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted (Ministerial)	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion : From amongst Constables (Daftry) in Medical category SHAPE-1 with five years regular service in the grade and having proficiency in operating and maintaining Gestetner Machines. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of** :- 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force – Chairman 2. Commandant –Member 3. Deputy Commandant –Member	Not applicable.

[F. No. R.IX.1/2020-Min-DA-3]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.07.15 13:10:06 +05'30'